

नपा
30/8/24



राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग



क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022

जयपुर, दिनांक : 29 अगस्त, 2024

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) में उल्लेखित राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव अगस्त-सितम्बर, 2024 के लिये मतदान दिनांक 05.09.2024 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात् दिनांक 03.09.2024 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 05.09.2024 को सांय 05.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2024/2871

दिनांक:- 02.09.2024

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बारां, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, जालोर, कोटा, गंगापूरसिटी, श्रीगंगानगर एवं अनूपगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अंजू वर्मा)
सहायक सचिव